Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

बच्चन सिंह बनाम कुसुम औझा

किस्म मुकदमा – दीवानी अपील नम्बर 12 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06-07-2024	अधिवक्तागण पक्षकारान उपस्थित। बहस आवेदन–पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सी पी सी. व आदेश 41 नियम 5 दी. प्र सं. पर उभयपक्षकारान् की सुनी जा चुकी है। अपीलार्थी पक्ष की ओर से आदेश 41 नियम 5 दी प्र सं. का दिनांक 16.03.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दीवानी वाद सं. 76/09 में दि. 24.02.2020 को निर्णय व डिक्री पारित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी, उक्त अपील के निस्तारण में समुचित समय लगने की संभावना है और अपील के निस्तारण से पूर्व यदि प्रत्यर्थी, अपीलार्थी के विरूद्ध वादग्रस्त परिसर की बेदखली की कार्यवाही अमल में लाता है तो अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति होंगी। अपीलार्थी बकाया किराया व मध्यवर्ती लाभ भी आदेश की अनुपालना में जमा कराने को तैयार है, अतः पारित निर्णय व डिक्री की क्रियान्विती को स्थगित रखा जाऐ। प्रत्यर्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और मौखिक कथन किये गये कि उसके द्वारा कोई इजराय की कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई और अधिनस्थ न्यायालय ने सही प्रकार से निर्णय पारित किया है। सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को निर्णय पारित करने के पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र गत चार वर्षो से लंबित चला आ रहा है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त हो चुकी है, अतः इस प्रक्रम पर कोई कार्यवाही की क्रियान्विती को स्थगित रखे जाने का कोई उचित एवं न्यायोचित कारण नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा कोई निष्पादन का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो अपीलार्थी इस संबंध में पुनः इस प्रकार का आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र होगा। परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत आदेश 41 नियम 5 दी प्र सं. का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सी पी सी दि. 06.10.2023 को प्रस्तुत किया था और उनके द्वारा यह निवेदन किया कि विवादित सम्पति बाबत दीवानी वाद स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण कुसुम ओझा, श्रीमती ज्योति ओझा,बालमुकुन्द शर्मा व अशोक कुमार शर्मा के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। वह बच्चन सिंह बनाम श्रीमती कुसुम ओझा वगैरह का दीवानी वाद संख्या 83/99 था, जिसका अन्तिम निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2006 को अपीलार्थी/वादी का वाद स्वीकार कर उनका वाद डिक्री किया था। प्रत्यर्थी की तरफ से उक्त दीवानी वाद मे जबावदावा भी प्रस्तुत किया था, और उसमे वादी/अपीलार्थी को ओमनारायण आश्रम ट्रस्ट का किरायेदार बताया था और विवादित सम्पति जो अपीलार्थी की किरायेदारी मे है, उसे ओमनारायण आश्रम ट्रस्ट पुष्कर की सम्पति होना बताया गया। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांकित 07.07.2006 की पत्रावली जिसे इस अपील में तलब किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उस पत्रावली में जवाब दावा और अन्य दस्तावेज उक्त पत्रावली पर है, उक्त वाद में प्रस्तुत दस्तावेज व आवश्यक प्रमाणित प्रतिलिपिया अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं हो सकी, अतः उक्त निर्णित वाद की पत्रावली तलब किया जाना आवश्यक है, जिसे तलब किया जावें। उक्त के विपरीत प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत करते हुऐ कथन किया है कि दीवानी वाद संख्या 83/99 का सिविल न्यायाधीश, पुष्कर द्वारा विधिवत रूप से निर्णय दिनांक 07.07.2006 को किया जा चुका है और उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का भी निर्णय हो चुका है। इस अपील के जिस निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, उस निर्णय में वादी गवाह अशोक कुमार जोशी से उक्त वाद संख्या83/99 के संबंध में उसके जवाब पर सम्पूर्ण जिरह अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई थी और उक्त वाद जिसकी पत्रावली तलब कराना चाहते है, जिस वाद संख्या–83/99 के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श – ए – 18,उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील की जो प्रदर्श – ए 19 है। इसलिए उक्त वाद के संबंध में जो निर्णय व अपील के निर्णय पत्रावली पर पूर्व से मौजूद है इसलिए उक्त वाद सं. 89/99 की पत्रावली को तलब किया जाना उचित एवं आवश्यक नहीं है, इसलिये प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से जिस वाद संख्या 83/99 बच्चन सिंह बनाम कुसुम औझा निर्णय दिनांकित 07.07.2006 की पत्रावली तलब कराये जाने का निवेदन किया गया है, उक्त पत्रावली से संबंधित निर्णय एवं उसके विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील का निर्णय की प्रतियां पूर्ण से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्वीक्षा के दौरान पेश की जा चुकी है और जिस पर अपीलार्थी द्वारा गवाह द्वारा प्रतिपरीक्षण भी किया जा चुका है। अब इस प्रक्रम पर उक्त पत्रावली को तलब किये जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों कि निर्णय दिनांक 07.07.2006 की जो पत्रावली प्रदर्श ए–18 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	रूप में है, उसमें सम्पूर्ण वाद के तथ्यों व दस्तावेजात का उल्लेख करते हुऐ सिविल न्यायाधीश, पुष्कर द्वारा दिनांक 07.07.2006 को निर्णय पारित किया गया है, इसलिये उक्त सभी विवेचन के आधार पर उक्त पत्रावली संख्या 83/99 बच्चन सिंह बनाम कुसुम औझा निर्णय दिनांक 07.07.2006 की पत्रावली को तलब किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस वाद को एक वर्ष में निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है और एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अतः पक्षकारान् से अपेक्ष की जाती है कि वे आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस अपील हेतु दि ..... को पेश हो। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए